न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 7/2019 (उदयपुर आर्डर)

1. देवीलाल पिता के ुलाल जी डांगी, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती भंवरी बाई बेवा के ुलाल जी डांगी, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती कंकु बाई अविधिक पत्नी के ाा जी डांगी, निवासी ग्राम घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. जगदीश अविधिक पुत्र के ाा जी डांगी, निवासी ग्राम घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. मीना अविधिक पुत्री के ाा जी डांगी, निवासी ग्राम घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. तुलसी अविधिक पुत्री के ाा जी डांगी, निवासी ग्राम घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. पटवारी, पटवार हल्का घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मावली दिनांक 09.04.2019 प्रकरण संख्या 27/2018

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री कल्पित जैन अभिभाशक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 से 4
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं, 5,6

———::———

निर्णय **दिनांक 28–09–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा घासा में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 वर्णित आराजियात स्थित है, जो प्रार्थीगण के पिता के ुलाल जी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। ... ुलाल जी की मृत्यु दिनांक 15–01–2017 को

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.10.25 11:44:35 IST
Reason: SelfAttested

हो चुकी है, जिसके वारिस हम प्रार्थीगण हैं, इसके अलावा उनके अन्य कोई वारिस नहीं है। विवादित आराजियात पर कब्जा हम प्रार्थीगण का चला आ रहा है। के ुलाल की पूर्व पत्नी विपक्षी संख्या 2 श्रीमती भंवरीबाई 45 वर्ष पूर्व बेदला में माना डांगी के नाते चली गयी, तभी से वह माना जी की पत्नी के रूप में वहीं रह रही है, जिनके नुफ्ते से विपक्षी संख्या 1 देवीलाल का जन्म हुआ। भंवरीबाई के समस्त दस्तावेजों में पति का नाम माना डांगी अंकित है, किन्तु विपक्षीगण ने के ुलाल की मृत्यु पर उक्त आराजियात अपने नाम पर करवाकर खुर्द–बुर्द करने पर उतारू हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं होने से जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा बताया कि विपक्षी संख्या 2 का विवाह के ूलाल के साथ हिन्दू रीति रिवाज अनुसार हुआ है एवं विपक्षी संख्या 1 के ुलाल जी के नुफ्ते से उत्पन्न हुआ होकर के ुलाल का जाईन्दा पुत्र है। के ुलाल व कंकुबाई के नुफ्ते से प्रार्थी संख्या 2 से 4 का जन्म हुआ जो के ुलाल की अवैध संतान हैं इसलिए के ुलाल की जमीन पर उनका कोई हक अधिकार नहीं है। विवादित आराजियात पर कब्जा विपक्षीगण का है, केवल मात्र दस्तावेजों में माना डांगी अंकित होने विपक्षी संख्या 1 को के ुलाल की जायदाद से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रार्थीगण ने झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 09–04–2019 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री कल्पित जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 व 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अपीलान्ट संख्या 1 देवीलाल मृतक के ुलाल का जायन्दा पुत्र है। अपीलान्ट संख्या 2 भंवरीबाई का के ुलाल के साथ विवाह हिन्दु रीति

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:44:35 IST
Reason: SelfAttested

रिवाज अनुसार हुआ है, जिनके नुफ्ते से अपीलान्ट देवीलाल का जन्म हुआ है, किन्तु के ुलाल व भंवरीबाई में अनबन हो जाने से वह के ुलाल को छोड़कर चली गयी, लेकिन उनके विवाह विच्छेद की डिक्री कभी भी पारित नहीं हुई है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 कंकुबाई मृतक के ुलाल की विधिक पत्नी नहीं है तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 के ुलाल के जाईन्दा पुत्र नहीं हैं इसलिए के ुलाल की सम्पत्ति में उनका कोई हक अधिकार नहीं है। अपीलान्टगण ही के ुलाल के विधिक वारिस हैं, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विस्तृत विवेचन करते हुए प्रार्थीगण को के ुलाल का विधिक वारिस माना है एवं विपक्षी संख्या 2 माना डांगी के नाते बेदला चले जाने से अपीलान्ट देवीलाल को माना का पुत्र माना है तथा विवादित भूमि पर कब्जा भी प्रार्थीगण का माना है एवं इस आधार पर अस्थायी निशेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में मानते हुए विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09–04–2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–09–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.10.25 11:44:35 IST
Reason: SelfAttested